

आदेश पत्रक

केश का प्रकार - दाखिल खारीज
अभिलेख संख्या - 65/16-1+

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

12/5/16

श्री दीपाल कुमार याना पिता श्री दीपाल कुमार

ग्राम रमनगढ़ी

अंचल देवरी जिला

गिरिडीह द्वारा निम्नांकित व्यौरे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु
आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन 'श्री रमनगढ़ी, पिता-पितृ
राना (१) चित्तपुरी कलापाटेवी पति-रमनगढ़ी ग्राम रमनगढ़ी'

अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या 12096
दिनांक 27. 8. 76 के द्वारा क्रय किया गया है।

ग्राम	थाना नो	खाता नो	प्लॉट नो	रकवा
रमनगढ़ी	249	29	2, 4, 3,	५८ फू
		25	1	१२ फू
				<u>५३ फू</u>

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच
हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच
प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।

अभिलेख दिनांक 3/6/16 को उपस्थापित करें।

दाखिल अंचल देवरी अधिकारी द्वारा दाखिल अभिलेख का उपस्थापित करने का अनुमति दिया गया है।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

~~8/6/16~~

~~30/5/16~~

अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपति नहीं दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होंने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरुआ खास/ रैयती/ बकास्त/ खाते की है जिसकी जमाबंदी पंजी ॥ के भेलूम संख्या ॥ के पृष्ठ संख्या ॥

103 पर विकेता कौमुदी के नाम जमाबंदी दर्ज है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एवं सैरात से बाहर है जमीन पर केता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण क्रेता श्री/श्री मति डॉलपट्ट राना पिता/मति मिंगटी राना ग्राम रुजमुचा के नाम रुजमुचा किया जाता है।

ग्राम	थाना नॉ	प्लॉट नॉ	रकवा	माल
<u>रुजमुचा</u>	249	2, 4, 3, 1	५५३० ५५३० ५५३०	१० पैसा

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संसोधित

अंचल अधिकारी,
देवरी।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

अंचल अधिकारी,
देवरी।